झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008

रांँची, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

❖

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008

राँची, झारखण्ड

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिसूचना जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2007	1-2
2.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अ) हिन्दी में (ब) अंग्रेजी में	 3 से 11 13 से 21
3.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् नियम बनाने हेतु तकनीकि सहायक समूह का गठन – आदेश	22 से 23
4.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 (अ) हिन्दी में (ब) अंग्रेजी में (ग) शुद्धि पत्र नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008	 24 से 36 37 से 49 50 से 51
5.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 की धारा–4 के उपधारा–7 एवं 2008 के नियम–9 के अधीन राज्यस्तरीय निगरानी समिति का गठन – संकल्प	52
6.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के तहत् अनुमण्डल/जिला स्तरीय समिति का गठन – अधिसूचना	53 से 55
7.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियमावली–2008 के अधीन नोडल पदाधिकारी की घोषणा–संकल्प	56
8.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत पत्र	57
9.	अधिसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश–2007	58 से 63
10.	झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं काम–काज का संचालन) नियमावली, 2003	64 से 70
11.	D.O.No. 11023/07/2000-TDR/C&LM.II	71 से 73

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 31 दिसम्बर 2007 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 2007

अधिसूचना

का. आ. (अ) केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2,) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 दिसम्बर, 2007 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

हस्ता./-
(डॉ. बचित्तर सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
[फा. सं. 17014/02/2007- पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-II खण्ड-3-उप खण्ड (ii)

PART II-Section 1- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1614] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007 / पौष 10, 1929

No. 1614] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007 / PAUSA 10, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2224 (अ).- केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 दिसम्बर, 2007 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2007

S.O. 2224 (E).- IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby appoints the 31st day of December, 2007 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol.VII)]

Dr. Bachittar Singh, Jt. Secy.

5123 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

(29 दिसम्बर, 2006)

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है;

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाये रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियाँ भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि सम्बन्धी असुरक्षा तथा वनों में पहुँच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है.

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है.

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषाएँ.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''सामुदायिक वन संसाधन'' से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुँच थी;

(ख) ''संकटपूर्ण वन्य जीव आवास'' से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहाँ वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित है जैसा कि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा;

(ग) ''वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति'' से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है;

(घ) ''वन भूमि'' से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है;

(ङ) ''वन अधिकारों'' से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं;

(च) ''वन ग्राम'' से ऐसी बस्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन सम्बन्धी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई है या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वनकृषि बस्तियाँ भी है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है;

(छ) ''ग्राम सभा'' से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएँ और निर्वाचित ग्राम समितियाँ भी है जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बंधित भागीदारी है;

(ज) ''आवास'' के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परम्परागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;

(झ) ''गौण वन उत्पाद'' के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बाँस, झाड़ झंखाड़, ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियाँ, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं;

(ञ) ''नोडल अभिकरण'' से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

2003 का 18 (ढ) ''सतत् उपयोग'' का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है;

(ण) ''अन्य परम्परागत वन निवासी'' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है.

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजन के लिए ''पीढ़ी'' से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(त) ''ग्राम'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

1996 का 40

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से सम्बन्धित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियाँ और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहाँ पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों.

(थ) ''वन्य पशु'' से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में

1972 का 53 विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियाँ अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं.

अध्याय-2
वन अधिकार

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार.

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं अर्थात् :–

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गाँव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुँच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के अन्य सामुदायिक अधिकार;

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियाँ भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहाँ दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की सम्बन्धित जनजाति की किसी पारम्परिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किये बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो.

1980 का 69 (2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात्:-

(क) विद्यालय;
(ख) औषधालय या अस्पताल;
(ग) आँगनबाड़ी;
(घ) उचित कीमत की दुकानें;
(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें;
(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय;
(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;
(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएँ;
(झ) लघु सिंचाई नहरें;
(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत;
(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
(ठ) सड़कें; और
(ड) सामुदायिक केन्द्र;

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जायेगा, जब -

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो.

अध्याय-3

2003 का 18

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनः स्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना.

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, -

(क) ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहाँ उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत् अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत् अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को,

मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है.

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चात्वर्ती रूप में उपान्तरित या पुनः स्थापित किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनःस्थापित नहीं किया जायेगा या किसी भी रीति में उनके अधिकारों पर वन जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों के पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् -

1972 का 53

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो;

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है;

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) एक पुनर्व्यस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केन्द्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है;

(ङ) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है;

(च) कोई पुनर्व्यस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाएँ और भूमि आवंटन वायदा किये गये पैकेज के अनुसार पूरी की गई हो :

परंतु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनः स्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी एक के द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपवर्तित नहीं किया जायेगा.

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत् किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, इस अधिनियम, के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी.

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जायेगा.

(5) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है.

(6) जहाँ उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहाँ ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बन्धित होगी और किसी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा.

(7) वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जायेगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए - ''शुद्ध वर्तमान मूल्य'' और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है. 1980 का 69

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किये गये थे और जहाँ भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पाँच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी.

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य.

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहाँ इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं, -

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलग्रहण क्षेत्र, जलस्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है.

अध्याय-4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया.

6. (1) ग्राम सभा को, ऐसे किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, सिफारिश किये गये प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिये जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :-

परन्तु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जायेगी :

2003 का 18 　परन्तु यह और कि ऐसी याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परन्तु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिलास्तर की समिति का गठन करेगी.

(6) वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा.

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जायें, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी.

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाये.

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए.

अध्याय-5
अपराध और शास्तियाँ

7. जहाँ कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोष समझे जायेंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किये जाने के भागी होंगे : 　इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध.

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी.

8. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से 　अपराधों का संज्ञान

ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मानीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली हो.

अध्याय–6

प्रकीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना.

9. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे. 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.

10. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी है, के विरुद्ध नहीं होगी.

नोडल अभिकरण

11. जनजनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा.

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.

12. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर लिखित में दे.

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

13. इस अधिनियम और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में. 1996 का 40

नियम बनाने की शक्ति.

14. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतयां और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किये गये प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, ज़िला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

2003 का 18 (ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा. यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा. यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-(एन)04/0007/2006-08 REGISTERED NO. DL-(N)04/0007/2006-08

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
Extraordinary
भाग-II खण्ड-1
PART II-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2) नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2007 / पौष 12, 1928
No. 2) NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2007 / PAUSA 12, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 2nd January, 2007/Pausa 12, 1928 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th December, 2006, and is hereby published for general information :—

THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006

No. 2 of 2007

[29th December, 2006]

An Act to recognise and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land.

Whereas the recognised rights of the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers include the responsibilities and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance and thereby strengthening the conservation regime of the forests while ensuring livelihood and food security of the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers;

And whereas the forest rights on ancestral lands and their habitat were not adequately recognised in the consolidation of State forests during the colonial period as well as in independent India resulting in historical injustice to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem;

And Whereas it has become necessary to address the long standing insecurity of tenurial and access rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers including those who were forced to relocate their dwelling due to State development interventions.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of Indian follows :—

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires —

(a) Community forest resource means customary common forest land within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities, including reserved forests, protected forests and protected areas such as Sanctuaries and National Parks to which the community had traditional access;

(b) 'Critical wildlife habitat' means such areas of National Parks and Sanctuaries where it has been specifically and clearly established, case by case, on the basis of scientific and objective criteria, that such areas are required to be kept as inviolate for the purposes of wildlife conservation as may be determined and notified by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests after open process of consultation by an Expert Committee, which includes experts from the locality appointed by that Government wherein a representative of the Ministry of Tribal Affairs shall also be included, in determining such areas according to the procedural requirements arising from sub-sections (1) and (2) of section 4;

(c) 'Forest dwelling Scheduled Tribes' means the members or community of the Scheduled Tribes who primarily reside in and who depend on the forests or forest lands for bona fide livelihood needs and includes the Scheduled Tribe pastoralist communities;

(d) 'Forest land' means land of any description falling within any forest area and includes unclassified forests, undermarcated forests existing or deemed forests, protected forests, reserved forests, Sanctuaries and National Parks;

(e) 'Forests rights' means the forest rights referred to in section 3;

(f) 'Forest villages' means the settlements which have been established inside the forests by the forest department of any State Government for forestry operations or which were converted into forest villages through the forest reservation process and includes forest settlement villages, fixed demand holdings, all types of taungya settlements, by whatever name called, for such villages and includes lands for cultivation and other uses permitted by the Government;

(g) 'Gram Sabha' means a village assembly which shall consist of all adult members of a village and in case of States having no Panchayats, Padas, Tolas and other traditional villages institutions and elected village committees, with full and unrestricted participation of women;

(h) 'Habitat' includes the area comprising the customary habitat and such other habitats in reserved forests and protected forests of primitive tribal groups and pre-agricultural communities and other forest dwelling Scheduled Tribes;

(i) 'Minor forest Produce' includes all non-timber forest produce of plant origin including bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu or kendu leaves, medicinal plants and herbs, roots, tubers and the like;

(j) Nodal agency' means the nodal agency specified in section 11;

(k) 'Notification' means a notification published in the Official Gazette;

(l) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(m) 'Scheduled Areas' means the Scheduled Areas referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution;

(n) 'Sustainable use' shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of section 2 of the Biological Diversity Act, 2002;

18 of 2003 (o) 'other traditional forests dweller' means any member or community who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forest or forests land for bona fide livelihood needs.

Explanation — For the purpose of this clause, 'generation' means a period comprising of twenty-five years;

(p) 'Village' means —

40 of 1996 (i) A village referred to in clause (b) of section 4 of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996; or

(ii) Any area referred to as a village in any State law relating to Panchayats other than the Scheduled Areas; or

(iii) Forest villages, old habitation or settlements and unsurveyed villages, whether notified as village or not; or

(iv) In the case of States where there are no Panchayats, the traditional village, by whatever name called;

53 of 1972 (q) 'Wild animal' means any species of animal specified in Schedules I to IV of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and found wild in nature.

CHAPTER-II

FOREST RIGHTS

3. (1) For the purpose of this Act, the followings rights, which secure individual or community tenure or both, shall be the forest rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers on all forest lands, namely :— **Forest rights of Forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers**

(a) Right to hold and live in the forest land under the individual or common occupation for habitation or for self-cultivation for livelihood by a member or members of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dwellers;

(b) Community rights such as nistar, by whatever name called, including those used in erstwhile Princely States, Zamindari or such intermediary regimes;

(c) Right of ownership, access to collect, use, and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries;

(d) Other community rights of uses of entitlements such as fish and other products of water bodies, grazing (both settled or transhumant) and traditional seasonal resource access of nomadic or pastoralist communities;

(e) Rights including community tenures of habitat and habitation for primitive tribal groups and pre-agricultural communities;

(f) rights in or over disputed lands under any nomenclature in any State where claims are disputed;

(g) rights for conversion of Pattas or leases or grants issued by any local authority or any State Government on forest lands to titles;

(h) Rights of settlement and conversion of all forest villages, old habitation, unsurveyed villages and other villages in forests, whether recorded, notified or not into revenue villages;

(i) right to protect, regenerate of conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use;

(j) Rights which are recognised under any State law or laws of any Autonomous District Council or Autonomous Regional Council or which are accepted as rights of tribals under any traditional or customary law of the concerned tribes of any State;

(k) Right of access to biodiversity and community right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity;

(l) Any other traditional right customarily enjoyed by the forest dwelling Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers, as the case may be, which are not mentioned in clauses (a) to (k) but excluding the traditional right of hunting or trapping or extracting a part of the body of any species of wild animal;

(m) Right to in situ rehabilitation including alternative land in cases where the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been illegally evicted or displaced from forest land of any description without receiving their legal entitlement to rehabilitation prior to the 13th day of December, 2005;

(2) Notwithstanding anything contained in the Forest (Conservation) Act, 1980, the Central Government shall provide for diversion of forest land for the following facilities managed by the Government which involve felling of trees not exceeding seventy-five trees per hectare, namely :— 69 of 1980

(a) schools;

(b) dispensary or hospital;

(c) anganwadis;

(d) fair price shops;

(e) electric and telecommunication lines;

(f) tanks and other minor water bodies;

(g) drinking water supply and water pipelines;

(h) water or rain water harvesting structures;

(i) minor irrigation canals;

(j) non-conventional source of energy;

(k) skill upgradation or vocational training centres;

(l) roads; and

(m) community centres;

Provided that such diversion of forest land shall be allowed only if —

(i) The forest land to be diverted for the purposes mentioned in this sub-section is less than one hectare in each case; and

(ii) The clearance of such developmental projects shall be subject to the condition that the same is recommended by the Gram Sabha.

CHAPTER-III

RECOGNITION, RESTORATION AND VESTING OF FOREST RIGHTS AND RELATED MATTERS

Recognition of and vesting of forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers

4. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and subject to the provisions of this Act, the Central Government hereby recognises and vests forest rights in —

(a) The forest dwelling Scheduled Tribes in States or areas in States where they are declared as Scheduled Tribes in respect of all forest rights mentioned in section 3;

(2) The forest rights recognised under this Act in critical wildlife habitats of National Parks and Sanctuaries may subsequently be modified or resettled, provided that no forest rights holders shall be resettled or have their rights in any manner affected for the purposes of creating inviolate areas for wildlife conservation except in case all the following conditions are satisfied, namely :—

(a) The process of recognition and vesting of rights as specified in section 6 is complete in all the areas under consideration;

53 of 1972

(b) It has been established by the concerned agencies of the State Government, in exercise of their powers under the wild Life (Protection) Act, 1972 that the activities or impact of the presence of holders of rights upon wild animals is sufficient to cause irreversible damage and threaten the existence of said species and their habitat;

(c) The State Government has concluded that other reasonable options, such as, co-existence are not available;

(d) A resettlement or alternatives package has been prepared and communicated that provides a secure livelihood for the affected individuals and communities and fulfils the requirements of such affected individuals and communities given in the relevant laws and the policy of the Central Government;

(e) The free informed consent of the Gram Sabhas in the areas concerned to the proposed resettlement and to the package has been obtained in writing;

(f) no resettlement shall take place until facilities and land allocation at the resettlement location are complete as per the promised package;

Provided that the critical wildlife habitats from which rights holders are thus relocated for purposes of wildlife conservation shall not be subsequently diverted by the State Government or the Central Government or any other entity for other uses.

(3) The recognition and vesting of forest rights under this Act to the forest dwelling Scheduled Tribes and to other traditional forest dwellers in relation to any State or Union territory in respect of forest land and their habitat shall be subject to the condition that such Scheduled Tribes or tribal communities or other traditional forest dwellers had occupied forest land before the 13th day of December, 2005.

(4) A right conferred by sub-section (1) shall be heritable but not alienable or transferable and shall be registered jointly in the name of both the spouses in case of married persons and in the name of the single head in the case of a household headed by a single person and in the absence of a direct heir, the heritable right shall pass on to the next-of-kin.

(5) Save as otherwise provided, no member of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dweller shall be evicted or removed from forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete.

(6) Where the forest rights recognised and vested by sub-section (1) are in respect of land mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 3 such land shall be under the occupation of an individual or family or community on the date of commencement of this Act and shall be restricted to the area under actual occupation and shall in no case exceed an area of four hectares.

(7) The Forest rights shall be conferred free of all encumbrances and procedural requirements, including clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980, requirement of paying the act present value and 'compensatory afforestation' for diversion of forest land, except those specified in this Act. 69 of 1980

(8) The forest rights recognised and vested under this Act shall include the right of land to forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who can establish that they were displaced from their dwelling and cultivation without land compensation due to State development interventions, and where the land has not been used for the purpose for which it was acquired within five years of the said acquisition.

Duties of holders of forest rights

5. The holders of any forest right, Gram Sabha and village level institutions in areas where there are holders of any forest right under this Act are empowered to—

(a) Protect the wild life, forest and biodiversity;

(b) Ensure that adjoining catchments area, water sources and other ecological sensitive area are adequately protected;

(c) Ensure that the habitat of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers is preserved from any form of destructive practices affecting their cultural and natural heritage;

(d) Ensure that the decisions taken in the Gram Sabha to regulate access to community forest resources and stop any activity which adversely affects the wild animals, forest and the biodiversity are complied with..

CHAPTER-IV

AUTHORITIES AND PROCEDURE FOR VESTING OF FOREST RIGHTS

Authorities to vest forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers and procedure thereof.

6. (1) The Gram Sabha shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individuals or community forest rights or both that may be given to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers within the local limits of its jurisdiction under this Act by receiving claims, consolidating and verifying them and preparing a map dedicating the area of each recommended claim in such manner as may be prescribed for exercise of such rights and the Gram Sabha shall, then, pass resolution to that effect and thereafter forward a copy of the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(2) Any person aggrieved by the resolution of the Gram Sabha may prefer a petition to the Sub-Divisional Level Committee constituted under sub-section (3) and the Sub-Divisional Level Committee shall consider and dispose of such petition;

Provided that every such petition shall be preferred within sixty days from the date of passing of the resolution by the Gram Sabha;

Provided further that no such petition shall be disposed of against the aggrieved person, unless he has been given a reasonable opportunity to present his case.

(3) The State Government shall constitute a Sub-Divisional Level Committee to examine the resolution passed by the Gram Sabha and prepare the record of forest rights and forward it through the Sub-Divisional Officer to the District Level Committee for a final decision.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Sub-Divisional Level Committee may prefer a petition to the District Level Committee within sixty days from the date of decision of the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider and dispose of such petition.

Provided that no petition shall be preferred directly before the District Level Committee against the resolution of the Gram Sabha unless the same has been preferred before and considered by the Sub-Divisional Level Committee;

Provided further that no such petition shall be disposed of against the aggrieved person, unless he has been given a reasonable opportunity to present his case.

(5) The State Government shall constitute a District Level Committee to consider and finally approve the record of forest rights prepared by the Sub-Divisional Level Committee.

(6) The decision of the District Level Committee on the record of forest rights shall be final and binding.

(7) The State Government shall constitute a State Level Monitoring Committee to monitor the process of recognition and vesting of forest rights and to submit to the nodal agency such reasons and reports as may be called for by that agency.

(8) The Sub-Divisional Level Committee, the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee shall consist of officers of the departments of Revenue. Forest and Tribal Affairs of the State Government and three members of the Panchayati Raj Institutions at the appropriate level, appointed by the respective Panchayati Raj Institutions of whom two shall be the Scheduled Tribe members and at least one shall be a woman, as may be prescribed.

(9) The composition and functions of the Sub-Divisional Level Committee, the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee and the procedure to be followed by them in the discharge of their functions shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V

OFFENCES AND PENALTIES

Offences by members or offences of authorities and Committees under this Act.

7. Where any authority or Committee or officer or member of such authority or Committee contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder concerning recognition of forest rights, it, or they, shall be deemed to be guilty of an offence under this Act and shall be liable to be proceeded against and punished with fine which may extend to one thousand rupees;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any member of the authority of Committee or head of the department or any person referred to in this section liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Cognizance of offences

8. No court shall take cognizance of any offence under section 7 unless any forest dwelling Scheduled Tribe in case of a dispute relating to a resolution of a Gram Sabha or the Gram Sabha through a resolution against any higher authority gives a notice of not less than sixty days to the State Level Monitoring Committee and the State Level Monitoring Committee has not proceeded against such authority.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

Members of authorities, etc., to be public servants.

45 of 1860

9. Every member of the authorities referred to in Chapter IV and every other officer exercising any of the power conferred by or under this Act shall be deemed to be a public servant withing the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith

10. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the Central Government or the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done by or under this Act.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the State Government or any of its officers or other employees for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

(3) No suit or other legal proceeding shall lie against any authority as referred to in Chapter IV including its Chairperson, members, member-secretary, officers and other employees for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Nodal agency

11. The Ministry of the Central Government dealing with Tribal Affairs or any officer or authority authorised by the Central Government in this behalf shall be the nodal agency for the implementation of the provisions of this Act.

Power of Central Government to issue directions.

12. In the performance of its duties and exercise of its powers by or under this Act, every authority referred to in Chapter IV shall be subject to such general or special directions, as the Central Government may, from time to time, give in writing.

Act not in derogation of any other law

13. Save as otherwise provided in this Act and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. **40 of 1996**

Power to make rules

14. (1) The Central Government may, by notification, and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) Procedural details for implementation of the procedure specified in section 6;

(b) The Procedure for receiving claims, consolidating and verifying them and preparing a map delineating the area of each recommended claim for exercise of forest rights under sub-section (1) of section 6 and the manner of preferring a petition to the Sub-Divisional Committee under sub-section (2) of that section;

(c) The level of officers of the departments of Revenue, Forest and Tribal Affairs of the State Government to be appointed as members of the Sub-Divisional Level Committee, the District Level Committees and the State Level Monitoring Committee under sub-section (8) of section 6;

(d) The composition and functions of the Sub-Divisional Levell Committee, the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee and the procedure to be followed by them in the discharge of their functions under sub-section (9) of section 6;

(e) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is a session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

K.N. CHATURVEDI

Secy. to the Govt. of India

F. No. 17014/02/2007-PC&V
Government of India
Ministry of Tribal Affairs

Shastri Bhavan, New Delhi-110001
Dated the 12th February, 2007

ORDER

Sub: Constitution of a Technical Support Group for framing Rules under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006

Consequent on the enactment of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 1 on January 2, 2007, the Central Government hereby constitutes a Technical Support Group under the Convenorship of the Ministry of Tribal Affairs for framing Rules under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 for carrying out the provisions of the Act. The composition of the Technical Support Group shall be as under.

NON-OFFICIAL

1.	Shri S.R. Sankaran	—	Chairman
2.	Prof. Madhav Gadgil	—	Member
3.	Shri Raman Sukumar	—	Member
4.	Shri Ram Dayal Munda	—	Member
5.	Prof. K.C. Malhotra	—	Member
6.	Shri Sanjay Upadhyaya	—	Member
7.	Shri Rangan Dutta	—	Member
8.	Prof. Nandini Sundar	—	Member
9.	Shri D. Bandopadhyay	—	Member
10.	Smt. Smita Gupta	—	Member
11.	Shri Kumar Shiralkar	—	Member

OFFICIAL

12.	Director General, ICFRE, Dehradun	—	Member
13.	Representative of Ministry of Environment & Forests (not below the rank of Joint Secretary)	—	Member
14.	Representative of Department of Land Resources (not below the rank of Joint Secretary)	—	Member
15.	Representative of Ministry of Law & Justice (Legislatice Department) (not below the rank of Joint Secretary)	—	Member
16.	Representative of Ministry of Panchayati Raj (not below the rank of Joint Secretary)	—	Member
17.	Shri Serjius Minz, Principal Secretary, Forest, Government of Chhattisgarh	—	Member
18.	Shri S.C. Negi, Secretary, Tribal Development, Government of Himachal Pradesh	—	Member

19. Commissioner & Secretary, Welfare of Plain Tribes and Backward Classes, Government Asom, Guwahati — Member
20. Commissioner & Secretary, Hill Areas Department, Government of Asom, Dispur, Gowahati — Member
21. Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs — Member-Convenor

2. The Technical Support Group shall prepare the draft Rules for carrying out the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 within a period of 3 months from the date of constitution of the Group and submit the same to the Government.

3. The Technical Support Group shall meet and work out its action plan for drafting the proposed Rules. For this purpose the Technical Support Group may hold consultations with the State Governments/Union Territory Administrations individually to take care of State specific differences. The Technical Support Group may also hold regional conferences with experts to finalise the draft rules.

4. For the purposes of TA/DA, the non-official Members of the Technical Support Group will be treated as equivalent to Grade-I officers of the Central Government entitled to travel by air.

(Dr. Bachittar Singh)
Joint Secretary to the Government of India
Tele-011-23073817

Copy to:

All Official and Non-Official Members of the Technical Support Group.

Copy for information to:

1. Prime Minister's Office (Shri R. Gopalakrishnan, JS to PM), South Block, New Delhi;
2. Cabinet Secretariat (Shri Vijai Sharma, Additional Secretary), Rashtrapati Bhavan, New Delhi
3. Secretary, Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi
4. Secretary, Ministry of Panchayati Raj-Krishi Bhavan, New Delhi
5. Secretary, Ministry of Rural Development (Department of Land Reforms), Krishi Bhavan, New Delhi
6. Secretary, Ministry of Law & Justice (Legislative Department), Shastri Bhavan, New Delhi
7. Chief Secretary, Government of Chhatisgarh, Raipur
8. Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh, Shimla
9. Chief Secretary, Government of Asom, Dispur, Guwahati

(Dr. Bachittar Singh)
Joint Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 जनवरी, 2008 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 01.01.2008

अधिसूचना

सा.का. नि.........(अ).–अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता नियम, 2007 का प्रारूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 का प्रारूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ), तारीख 19 जून, 2007 के अधीन तारीख 19 जून, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25.06.2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनों में निवास करने वाले अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

    (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 है।

    (2) इनका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत पर होगा।

    (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ –

    (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

        (क) ''अधिनियम '' से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है;

        (ख) ''वास्तविक जीविका आवश्यकताओं'' से, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) खंड (ग) और खंड (घ) में उपबंधित है, वन भूमि पर स्वयं खेती करके उत्पादन के माध्यम से या उपज के विक्रय से स्वयं की और कुटुंब की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेत है;

        (ग) ''दावेदार'' से ऐसा व्यष्टि व्यष्टियों का समूह, कुटुंब या समुदाय अभिप्रेत है जो अधिनियम में सूचीबद्ध अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने के लिए दावा करता है;

        (घ) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ''गौण वन उपज के निपटान'' के अंतर्गत उपज को इकट्ठा करने वाले या समुदाय द्वारा जीविका के लिए ऐसी उपज के उपयोग

के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य वर्द्धन, वन क्षेत्र में सिर पर रखकर, साईकिल द्वारा या ठेलों के द्वारा परिवहन या विक्रय भी है;

(ङ) ''वन अधिकार समिति'' से नियम 3 के अधीन ग्राम सभा द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. ग्राम सभा –

(1) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जायेगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस किन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे :

परंतु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी :

परंतु ऐसे यह और कि जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना उपखंड स्तर की समिति को देगी।

(3) जब वन अधिकार समिति का कोई सदस्य व्यष्टिक वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जायेगा तब वह सत्यापन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा।

4. ग्राम सभा के कृत्य –

(1) ग्राम सभा –

(क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरंभ करेगी और उससे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी;

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे;

(ग) वन अधिकारों के संबंध में दावों पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों और संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, पारित करेगी और उन्हें उपखंड स्तर की समिति को भेज देगी;

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों पर विचार करेगी; और

(ङ) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी।

(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी:

परंतु जहाँ किसी गाँव में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों की विषम जनसंख्या है वहाँ अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(3) ग्राम सभा को राज्य के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

5. उपखंड स्तर की समिति –

राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :–

(क) उपखंड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) उपखंड का भार साधक वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी – सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद् या अन्य समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का उपखंड का भारसाधक अधिकारी या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी

6. **उपखंड स्तर की समिति के कृत्य** – उपखंड स्तर की समिति –

(क) प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़–पौधे और जीव–जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्त्तव्यों और वन अधिकारों के धारक के कर्त्तव्यों तथा अन्य के कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायेगी;

(ख) ग्राम सभा और वन अधिकारी समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध करायेगी;

(ग) संबद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलायेगी;

(घ) ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी;

(ङ) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी;

(च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी;

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी हैं, अर्जियों की सुनवाई करेगी;

(ज) अंतः उपखंड दावों के लिए उपखंड स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी;

(झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के पश्चात् प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी;

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगी;

(ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता पैदा करेगी;

(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध – 1 (प्रारूप क और ख) में यथा उपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी;

(ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति में किये जाते हैं।

7. **जिला स्तर की समिति** – राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर या उपायुक्त – अध्यक्ष

(ख) संबद्ध खंड वन अधिकारी या संबद्ध उप वन संरक्षक – सदस्य

(ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

8. **जिला स्तर की समिति के कृत्य** – जिला स्तर की समिति

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकारी समिति को उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है;

(ग) उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी;

(घ) उपखंड स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी;

(ङ) अंतः जिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी;

(च) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निदेश जारी करेगी;

(छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रूप दे दिया जायेगा वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबंध 2 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति संबद्ध दावेदार और संबंधित ग्राम सभा को दे दी गई है।

9. **राज्य स्तर की निगरानी समिति** – राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(ख) सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य

(ग) सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग – सदस्य

(घ) सचिव, वन विभाग – सदस्य

(ङ) सचिव, पंचायती राज – सदस्य;

(च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक – सदस्य;

(छ) जनजातीय सलाहकार परिषद् के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य जिन्हें जनजातीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य;

(ज) आयुक्त, जनजातीय कल्याण या समतुल्य जो सदस्य–सचिव होगा।

10. **राज्य स्तर की निगरानी समिति के कृत्य** – राज्य स्तर की निगरानी समिति

(क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानदंड और संकेतक तय करेगी;

(ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी;

(ग) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया के संबंध में छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियाँ और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाये;

(घ) अधिनियम की धारा 8 में यथा वर्णित सूचना की प्राप्ति पर अधिनियम के अधीन संबद्ध प्राधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी;

(ङ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्स्थापन की निगरानी करेगी।

11. **ग्राम सभा द्वारा दावे फाइल करने, उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया –**

(1) ग्राम सभा –

(क) दावों के लिए मांग करेगी और नियमों के उपाबंध 1 में यथा उपबंधित प्रारूप में, दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे दावे, दावों की ऐसी मांग की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, नियम 13 में उल्लिखित कम से कम दो साक्ष्यों के साथ किये जायेंगे:

परंतु ग्राम सभा, यदि आवश्यक समझे, तीन मास की उस अवधि को उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, विस्तारित कर सकेगी।

(ख) अपने सामुदायिक वन संसाधन के अवधारण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई तारीख नियम करेगी और जहाँ सारवान अति व्यापति हो, वहाँ उससे लगी हुई समीपस्थ ग्राम सभाओं को और उपखंड स्तर समिति को सूचित करेगी।

(2) वनाधिकार समिति, ग्राम सभा को उसके निम्नलिखित कृत्यों को करने में सहायता देगी –

(i) विनिर्दिष्ट प्रारूप में दावे और ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करना, उनकी अभिस्वीकृति देना और उन्हें रखना;

(ii) दावों और साक्ष्य का, मानचित्र सहित, अभिलेख तैयार करना;

(iii) वनाधिकारों के संबंध में दावेदारों की सूची तैयार करना;

(iv) इन नियमों में उपबंधित किये गये अनुसार दावों का सत्यापन करना;

(v) दावे के स्वरूप और विस्तार के संबंध में अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष, उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

(3) प्राप्त किये गये प्रत्येक दावे की वनाधिकारी समिति द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति की जायेगी।

(4) वनाधिकारी समिति, इन नियमों के उपाबंध 1 में यथा उपबंधित प्रारूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे भी तैयार करेगी।

(5) ग्राम सभा, उपनियम (2) के खंड (v) के अधीन निष्कर्षों की प्राप्ति पर वनाधिकार समिति के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए, पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उप खंड स्तर समिति को भेजेगी।

(6) ग्राम पंचायत का सचिव, अपने कृत्यों के निर्वहन में ग्राम सभाओं के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

12. **वनाधिकारी समिति द्वारा दावों का सत्यापन करने की प्रक्रिया –**

(1) वनाधिकारी समिति, संबंधित दावेदार और वन विभाग को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् --

(क) स्थल का दौरा करेगी और स्थल पर दावे के स्वरूप और विस्तार तथा साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी;

(ख) दावेदार और साक्षियों से कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि चारागाही और यायावरी जनजातियों के उन दावों को, जो व्यष्टिक सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, उनके अधिकारों के अवधारण के लिए, ऐसे समय पर सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे व्यष्टि या समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचीन जनजाति समूह या पूर्व कृषि समुदाय के सदस्य के दावे को, जो उनके समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, आवास के उनके अधिकारों के अवधारण के लिए उस समय सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों; और

(ङ) मान्यता दिये जाने योग्य सीमाचिन्हों को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करने वाला मानचित्र तैयार करेगी।

(2) तत्पश्चात् वनाधिकारी समिति दावे के संबंध में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी और उन्हें ग्राम सभा को उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि किसी दूसरे ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के संबंध में विरोधी दावे हैं या यदि किसी वन क्षेत्र का एक से उपयोग अधिक ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है तो संबंधित ग्राम सभाओं की वनाधिकारी समितियाँ ऐसे दावों के उपभोग के स्वरूप का विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेगी और संबंधित ग्राम सभाओं को लिखित में निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी :

परंतु यदि ग्राम सभाएँ विरोधी दावों का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं तो उसे ग्राम सभा द्वारा उपखंड स्तर समिति को उसका समाधान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) सूचना, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए ग्राम सभा या वनाधिकार समिति के अनुरोध पर, संबंधित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या वनाधिकार समिति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करायेंगे और यदि अपेक्षित हो, किसी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण सुकर करायेंगे।

13. **वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य** – वनाधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्टें, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनाएँ, प्रबंध योजनाएँ, लघु योजनाएँ, वन जाँच रिपोर्टें, अन्य वन अभिलेख अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज,

चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्टों, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख;

(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज;

(ग) गृह, झोपड़ी और भूमि में किये गये स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य, जिसके अंतर्गत समतल करना, बंध, चैकबांध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं;

(घ) अर्द्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी हैं;

(ङ) उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान अध्ययन, दस्तावेजीकरण, जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्पष्ट करते हैं और जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है;

(च) तत्कालीन रजवाड़ों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख, जिसके अंतर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी है;

(छ) कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसी पुरातंता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएँ;

(ज) पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गाँव के वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यष्टियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली;

(झ) लेखबद्ध किये गये, दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन।

(2) सामुदायिक वनाधिकारों के साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों;

(ख) परंपरागत चारागाह; जड़ें और कंद, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लघु वन उत्पाद जमा करने के क्षेत्र; मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियाँ; मानव या पशु धन के उपयोग के लिए जल के स्रोत, औषधीय पौधों का संग्रह, जड़ी–बूटी औषधि व्यवसायियों के क्षेत्र;

(ग) स्थानीय समुदायों द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाएँ और तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या श्मशानगृह।

(3) ग्राम सभा, उपखंड स्तर समिति और जिला समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में ऊपर उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेंगी।

14. उपखंड स्तर समिति को याचिकाएँ –

(1) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति, संकल्प की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उपखंड स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) उपखंड स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची और संबंधित ग्राम सभा को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी।

(3) उपखंड स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित ग्राम सभा को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात्, ग्राम सभा तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची को सुनेगी, उस निर्देश पर कोई संकल्प पारित करेगी और उसे उपखंड स्तर समिति को भेजेगी।

(5) उपखंड स्तर समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) लंबित याचिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपखंड स्तर समिति, अन्य दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और उन्हें एकत्रित करेगी तथा संबंधित उपखंड अधिकारी के माध्यम से उन्हें जिला स्तर समिति को प्रस्तुत करेगी।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद की दशा में और किसी ग्राम सभा द्वारा किये गये किसी आवेदन पर या उपखंड स्तर समिति द्वारा स्वःप्रेरणा से विवाद का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलायेगी और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो उपखंड स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

15. जिला स्तर समिति को याचिकाएँ –

(1) उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिला स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) जिला स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची तथा संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी।

(3) जिला स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उपखंड स्तर समिति तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची और ग्राम सभा को सुनेगी, उस निर्देश का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना जिला स्तर समिति को देगी।

(5) तत्पश्चात् जिला स्तर समिति याचिका पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) जिला स्तर समिति दावेदार या दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों को, सरकार के अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के लिए जिला कलक्टर या जिला आयुक्त को भेजेगी।

(7) दो या अधिक उपखंड स्तर समितियों के आदेशों के बीच किसी फर्क की दशा में, जिला स्तर समिति स्वः प्रेरणा से, मतभेदों का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित उपखंड स्तर समितियों की संयुक्त बैठक बुलायेगी और यदि किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो जिला स्तर समिति संबंधित उपखंड स्तर समितियों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद को अधिनिर्णित करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

(फा.सं. 17014/02/2007-पीसी. एंड वी (जिल्द VII))
डा. बचित्तर सिंह
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 11(1) (क) देखें

1. दावेदार (रों) का/के नाम
2. पति/पत्नी का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हाँ / नहीं
   (प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

   (ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हाँ/नहीं
   (यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
    (बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार
   (क) निवास के लिए
   (ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (क) देखें)
3. पट्टे/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ड) देखें)
5. भूमि, जहाँ से भूमि प्रतिकर दिये बिना विस्थापित किये गये हैं :-

अधिनियम की धारा 4 (8) देखें)

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें)

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)

8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप ख
सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम
   (क) एफ.डी.एस.टी. समुदाय : हाँ/ नहीं
   (ख) ओ.टी.एफ.डी. समुदाय : हाँ/ नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   (क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हों :
   (ख) चरने हेतु, यदि कोई हों :
   (ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुँच,
   यदि कोई हों,
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पी.टी.जी. व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :
   (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

निःशुल्क

उपाबंध-2

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8 (ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/ तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल :
11. खसरा/ कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी .... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्टर/ उप आयुक्त

निःशुल्क

उपाबंध-3

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8 (ज) देखें)

(सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक)

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/ के नाम :
   (उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8. शर्तें यदि कोई हो
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण
   रूढ़िजन्य सीमा और / या खसरा/ कंपार्टमेंट सं.
   सहित प्रमुख सीमा चिह्न
   सामुदायिक वन अधिकार का/ के धारक (कों) का/ के नाम :
   1. ....
   2. ....
   3. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी, ... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्टर/ उप आयुक्त

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (I) OF DATED 1ST JANUARY, 2008)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. .... (E). -- WHEREAS the draft Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights (Recognition of Forest Rights), Rules, 2008 were published, as required by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) under the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs number G.S.R. 437 (E), dated the 19th June, 2007 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on 25.06.2007;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules for recognizing and vesting the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers residing in such forests, namely :-

1. Short title, extent and commencement - (1) These rules may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008.

2. They shall extent to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions -

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

(b) "bonafide livelihood needs" means fulfillment of sustenance needs of self and family through production or sale of produce resulting from self-cultivation of forest land as provided under clauses (a), (c) and (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "claimant" means an individual, group of individuals, family or community making a claim for recognition and vesting of rights listed in the Act;

(d) "disposal of minor forest produce" under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall include local level processing. Value addition, transportation in forest area through head-loads, bicycle and handcarts for use of such produce or sale by the gatherer or the community for livelihood;

(e) "Forest Rights Committee" means a committee constituted by the Gram Sabha under rule 3;

(f) "section" means the section of the Act;

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Gram Sabha -

(1) The Gram Sabhas shall be convened by the Gram Panchayat and in its first meeting it shall elect from amongst its members, a committee of not less than ten but not exceeding fifteen persons as members of the Forest Rights Committee, wherein at least one-third members shall be the Scheduled Tribes;

Provided that not less than one-third of such members shall be women;

Provided further that where there are no Scheduled Tribes, at least one-third of such members shall be women.

(2) The Forest Rights Committee shall decide on a chairperson and a secretary and intimate it to the Sub-Divisional Level Committee.

(3) When a member of the Forest Rights Committee is also a claimant of individual forest right, he shall inform the Committee and shall not participate in the verification proceedings when his claim is considered.

4. Functions of the Gram Sabha- (1) The Gram Sabha shall-

(a) initiate the process of determining the nature and extent of forest rights, receive and hear the claims relating thereto;

(b) prepare-a list of claimants of forests rights and maintain a register containing such details of claimants and their claims as the Central Government may by order determine;

(c) pass a resolution on claims on forest rights after giving reasonable opportunity to interested persons and authorities concerned and forward the same to the Sub-Divisional Level Committee;

(d) consider resettlement packages under clause (e) of sub section (2) of section 4 of the Act and pass appropriate resolutions; and

(e) constitute Committees for the protection of wildlife, forest and biodiversity, from amongst its members, in order to carry out the provisions of section 5 of the Act.

(2) The quorum of the Gram Sabha meeting shall be not less than two thirds of all members of such Gram Sabha;

Provided that where there is a heterogeneous population of Scheduled Tribes and non Scheduled Tribes in any village, the members of the Scheduled Tribe, primitive tribal groups (PTGs) and pre-agricultural communities shall be adequately represented.

(3) The Gram Sabha shall be provided with the necessary assistance by the authorities in the State.

5. Sub-Divisional Level Committee - The State Government shall constitute Sub-Divisional Level Committee with the following members, namely :-

(a) Sub-Divisional Officer or equivalent officer- Chairperson;

(b) Forest Officer in charge of a Sub-division or equivalent officer-member;

(c) three members of the Block or Tehsillevel Panchayats to be nominated by the District Panchayat of whom at least two shall be the Scheduled Tribes preferably those who are forest dwellers, or who belongto the primitive tribal groups and where there are no Scheduled Tribes, two members who are preferably other traditional forest dwellers, and one shall be a woman member or in areas covered under the Sixth Schedule to the Constitution, three members nominated by the Autonomous District Council or Regional Council or other appropriate zonal level, of whom at least one shall be a woman member; and

(d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the Sub-division or where such officer is not available the officer in-charge of the tribal affairs.

6. Functions of the Sub-Divisional Level Committee.- The Sub-Divisional Level Committee (SDLC) shall-

(a) provide information to each Gram Sabha about their duties and duties of holder of forest rights and others towerds protection of wildlife, forest and biodiversity with reference to critical flora and fauna which need to be conserved and protected;

(b) provide forest and revenue maps and electoral rolls to the Gram Sabha or the Forest Rights Committee;

(c) collate all the resolutions of the concerned Gram Sabhas;

(d) consolidate maps and details provided by the Gram Sabhas;

(e) examine the resolutions and the maps of the Gram Sabhas to ascertain the veracity of the claims;

(f) hear and adjudicate disputes between Gram Sabhas on the nature and extent of any forest rights;

(g) hear petitions from persons, including State agencies, aggrieved by the resolutions of the Gram Sabhas;

(h) co-ordinate with other Sub-Divisional Level Committees for inter sub-divisional claims;

(i) prepare block or tehsil-wise draft record of proposed forest rights after reconciliation of government records;

(j) forward the claims with the draft record of proposed forest rights through the Sub-Divisional Officer to the District Level Committee for final decision;

(k) raise awareness among forest dwellers about the objectives and procedures laid down under the Act and in the ruies;

(l) ensure easy and free availability of proforma of claims to the claimants as provided in Annexure-I (Forms A & B) of these rules;

(m) ensure that the Gram Sabha meetings are conducted in free, open and fair manner with requisite quorum.

7. District Level Committee.- The State Government shall constitute District Level Committee (DLC) with the following members, namely :-

(a) District Collector or Deputy Commissioner- Chairperson;

(b) concerned Divisional Forest Officer or concerned Deputy Conservator of Forest-member;

(c) three members of the district panchayat to be nominated by the district panchayat, of whom at least two shall be the Scheduled Tribes preferably those who are forest dwellers, or who belong to members of the primitive tribal groups, and where there are no Scheduled Tribes, two members who are preferably other traditional forest dwellers, and one shall be a woman member; or in areas covered under the sixth Schedule to the Constitution, three members nominated by the Autonomous District Council or Regional Council of whom at least one shall be a woman member; and

(d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the district or where such officer is not available, the officer incharge of the tribal affairs.

8. Functions of District Level Committee - The District Level Committee shall-

(a) ensure that the requisite information under clause (b) of rule 6 has been provided to Gram Sabha or Forest Rights Committee;

(b) examine whether all claims, especially those of primitive tribal groups, pastoralists and nomadic tribes, have been addressed keeping in mind the objectives of the Act;

(c) consider and finally approve the claims and record of forest rights prepared by the Sub-Divisional Level Committee;

(d) hear petitions from persons aggrieved by the orders of the Sub-Divisional Level Committee;

(e) co-ordinate with other districts regarding inter-district claims;

(f) issue directions for incorporation of the forest rights in the relevant government records including record of rights;

(g) ensure publication of the record of forest rights as may be finalized; and

(h) ensure that a certified copy of the record of forest rights and title under the Act, as specified in Annexures II & III to these rules, is provided to the concerned claimant and the Gram Sabha respectively ;

9. State Level Monitoring Committee.- The State Government shall constitute a State Level Monitoring Committee with the following members, namely :-

(a) Chief Secretary - Chairperson;

(b) Secretary, Revenue Department- member;

(c) Secretary, Tribal or Social Welfare Department- member;

(d) Secretary, Forest Department - member;

(e) Secretary, Panchayati Raj - member;

(f) Principal Chief Conservator of Forests - member;

(g) three Scheduled Tribes member of the Tribes Advisory Council, to be nominated by the Chairperson of the Tribes Advisory Council and where there is no Tribes Advisory Council, three Scheduled Tribes members to be nominated by the State Government;

(h) Commissioner, Tribal Welfare or equivalent who shall be the Member-Secretary.

10. Functions of the State Level Monitoring Committee.- The State Level Monitoring Committee shall -

(a) devise criteria and indicators for monitoring the process of recognition and vesting of forest rights;

(b) monitor the process of recognition, verification and vesting of forest rights in the State;

(c) furnish a six monthly report on the process of recognition, verification and vesting of forest rights and submit to the nodal agency such returns and reports as may be called for by the nodal agency ;

(d) on receipt of a notice as mentioned in section 8 of the Act, take appropriate actions against the concerned authorities under the Act;

(e) monitor resettlement under sub-section (2) of section 4 of the Act.

11. Procedure for filing, determination and verification of claims by the Gram Sabha.- (1) The Gram Sabhas shall -

(a) call for claims and authorize the Forest Rights Committee to accept the claims in the Form as provided in Annexure-I of these rules and such claims shall be made within a period of three months from the date of such calling of claims alony with at least two of the

evidences mentioned in rule 13, shall be made within a period of three months;

Provided that the Gram Sabha may, if consider necessary, extend such period of three months after recording the reasons thereof in writing.

(b) fix a date for initiating the process of determination of its community forest resource and intimate the same to the adjoining Gram Sabhas where there are substantial overlaps, and the Sub-Divisional Level Committee.

(2) The Forest Rights Committee shall assist the Gram Sabha in its functions to -

(i) receive, acknowledge and retain the claims in the specified form and evidence in support of such claims;

(ii) prepare the record of claims and evidence including maps;

(iii) prepare a list of claimants on forest rights;

(iv) verity claims as provided in these rules;

(v) present their findings on the nature and extent of the claim before the Gram Sabha for its consideration.

(3) Every claim received shall be duly acknowledged in writing by the Forest Rights Committee.

(4) The Forest Rights Committee shall also prepare the claims on behalf of Gram Sabha for community forest rights in Form B as provided in Annexure I of these Rules.

(5) The Gram Sabha shall on receipt of the findings under clause (v) of sub-rule (2), meet with prior notice, to consider the findings of the Forest Rights Committee, pass appropriate resolutions, and shall forward the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(6) The Secretary of Gram Panchayat will also act as Secretary to the Gram Sabhas in discharge of its functions.

12. Process of verifying claims by Forest Rights Committee.- (1) The Forest Rights Committee shall, after due intimation to the concerned claimant and the Forest Department-

(a) visit the site and physically verity the nature and extent of the claim and evidence on the site;

(b) receive any further evidence or record from the claimant and witnesses;

(c) ensure that the claim from pastoralists and nomadic tribes for determination of their rights, which may either be through individual members, the community or traditional community institution, are verified at a time when such individuals, communities or their representatives are present;

(d) ensure that the claim from member of a primitive tribal group or preagricultural community for determination of their rights to habitat, which may either be through their community or traditional community institution, are verified when such communities or their representatives are present; and

(e) prepare a map delineating the area of each claim indicating recognizable landmarks.

(2) The Forest Rights Committee shall then record its findings on the claim and present the same to the Gram Sabha for its consideration.

(3) If there are conflicting claims in respect of the traditional or customary boundaries of another village or if a forest area is used by more than one Gram Sabha, the Forest Rights Committees of the respective Gram Sabhas shall meet jointly to consider the nature of enjoyment of such claims and submit the findings to the respective Gram Sabhas in writing ;

Provided that if the Gram Sabhas are not able to resolve the conflicting claims, it shall be referred by the Gram Sabha to the Sub-Divisional Level Committee for its resolution.

(4) On a written request of the Gram Sabha or the Forest Rights Committee for information, records of documents, the concerned authorities shall provide an aughenticated copy ofthe same to the Gram Sabha or Forest Rights Committee, as the case may be, and facilitate its clarification, if required, through an authorised officer.

13. Evidence for determination of forest rights.- (1) The evidence for recognition and vesting of forest rights shall, inter alia, include-

(a) public documents, Government records such as Gazetteers, Census, survey and settlement reports, maps, satellite imagery, working plans, management plans, micro-plans, forest enquiry reports, other forest records, record of rights by whatever name called, pattas or leases, reports of committees and commissions constituted by the Government, Government orders, notifications, circulars, resolutions;

(b) Government authorised documents such as voter identity card, ration card, passport, house lax receipts, domicile certificates;

(c) physical attributes such as house, huts and permanent improvements made to land including levelling, bunds, check dams and the like;

(d) quasi-judicial and judicial records including court orders and judgments;

(e) research studies, documentation of customs and traditions that illustrate the enjoyment of any forest rights and having the force of customary law, by reputed institutions, such as Anthropological Survery of India;

(f) any record including maps, record of rights, privileges, concessions, favors, from erstwhile princely States or provinces or other such intermediaries;

(g) traditional structures establishing antiquity such as wells, burial grounds, sacred places;

(h) genealogy tracing ancestry to individuals mentioned in earlier land records or recognized as having been legitimate resident of the village at an earlier period of time;

(i) statement of elders other than claimants, reduced in writing.

(2) An evidence for Community Forest Rights shall, inter alia, include -

(a) community rights such as nistar by whatever name called;

(b) traditional grazing grounds; areas for collection of roots and tubers, fodder, wild edible fruits and other minor forest produce; fishing grounds; irrigation systems; sources of

water for human or livestock use, medicinal plant collection territories of herbal practitioners;

(c) remnants of structures built by the local community, sacred trees, groves and ponds or niverine areas, burial or cremation grounds;

(3) The Gram Sabha, the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider more than one of the above-mentioned evidences in determining the forest rights.

14. Petitions to Sub-Divisional Level Committee.-

(1) Any person aggrieved by the resolution of the Gram Sabha may within a period of sixty days from the date of the resolution file a petition to the Sub-Divisional Level Committee.

(2) The Sub-Divisional Level Committee shall fix a date for the hearing and intimate the petitioner and the concerned Gram Sabha in writing as well as through a notice at a convenient public place in the village of the petitioner at least fifteen days prior to the date fixed for the hearing.

(3) The Sub-Divisional Level Committee may either allow or reject or refer the petition to concerned Gram Sabha for its reconsideration.

(4) After receipt of such refernce, the Gram Sabha shall meet within a period of thirty days, hear the petitioner, pass a resolution on that reference and forward the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(5) The Sub-Divisional Level Committee shall consider the resolution of the Gram Sabha and pass appropriate orders, either accepting or rejecting the petition.

(6) Without prejudice to the pending petitions, Sub-Divisional Level Committee shall examine and collate the records of forest rights of the other claimants and submit the same through the concerned Sub-Divisional Officer to the District Level Committee.

(7) In case of a dispute between two or more Gram Sabhas and on an application of any of the Gram Sabhas or the Sub-Divisional Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Gram Sabhas with a view to resolving the dispute and if no mutually agreed soulution can be reached within a period of theirty days, the Sub-Divisional Level Committee shall decide the dispute after hearing the concerned Gram Sabhas and pass appropriate orders.

15. Petitions to District Level Committee.-

(1) Any person aggrieved by the decision of the Sub-Divisional Level Committee may within a period of sixty days from the date of the decision of the Sub-Divisional Level Committee file a petition to the District Level Committee.

(2) The District Level Committee shall fix a date for the hearing and intimate the petitioner and the concerned Sub-Divisional Level Committee in writing as well as through a notice at a convenient public place in the village of the petitioner at least fifteen days prior to the date fixed for the hearing.

(3) The District Level Committee may either allow or reject or refer the petition to concerned Sub-Divisional Level Committee for its reconsideration.

(4) After receipt of such reference, the Sub-Divisional Level Committee shall hear the petitioner and the Gram Sabha and take a decision on that reference and intimate the same to the District Level Committee.

(5) The District Level Committee shall then consider the petition and pass appropriate orders, either accepting or rejecting the petition.

(6) The District Level Committee shall send the record of forest rights of the claimant or claimants to the District Collector or District Commissioner for necessary correction in the records of the Government.

(7) In case there is a discrepancy between orders of two or more Sub-Divisional Level Committees, The District Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Sub-Divisional Level Committees with a view to reconcile the differences and if no mutually agreed solution can be reached, the District Level Committee shall adjudicate the dispute after hearing the concerned Sub-Divisional Level Committees and pass appropriate orders.

[F. No. 17014/02/2007-PC&V (Vol.VII)]

Dr. Bachittar Singh

Joint Secretary

"Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM - A

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO FOREST LAND

[See rule 11 (1) (a) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]"

1. Name of the claimant (s) :
2. Name of the spouse :
3. Name of father/ mother :
4. Address :
5. Village :
6. Gram Panchayat :
7. Tehsil/ Taluka :
8. District :
9. (a) Scheduled Tribe : Yes/ No
   (Attach authenticated copy of Certificate)

   (b) Other Traditional Forest Dweller : Yes/ No
   If a spouse is a Scheduled Tribe (attach authenticated copy of certificate)
10. Name of other members in the family with age :
    (including children and adult dependents)

Nature of claim on land :

1. Extent of forest land occupied
   (a) for habitation
   (b) for self-cultivation, if any :
   (See Section 3 (1) (a) of the Act)
2. disputed lands if any :
   (See Section 3 (1) (f) of the Act)
3. Pattas/ leases/ grants, if any :
   (See Section 3 (1) (g) of the Act)
4. Land for in situ rehabilitation or alternative land, if any :
   (See Section 3 (1) (m) of the Act)
5. Land from where displaced without land compensation :
   (See Section 4 (8) of the Act)
6. Extent of land in forest villages, if any :
   (See Section 3 (1) (h) of the Act)
7. Any other traditional right, if any :
   (See Section 3 (1) (l) of the Act)
8. Evidence in support :
   (See Rule 13)
9. Any other information :

**Signature/ Thumb Impression
of the Claimant (s) :**

"Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM - B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS
[See rule 11 (1) (a) AND 11 (4) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]"

1. Name of the claimant (s) :
   a. FDST community : Yes/ No
   b. OTFD community : Yes/ No
2. Village :
3. Gram Panchayat :
4. Tehsil/ Taluka :
5. District :

Nature of community rights enjoyed :

1. Community rights such as nistar, if any :
   (See Section 3 (1) (b) of the Act)
2. Rights over minor forest produce, if nay :
   (See Section 3 (1) (c) of the Act)
3. Community rights
   a. uses or entitlements (fish, water bodies), if any :
   b. Grazing, if any
   c. Traditional resource access for nomadic and pastoralist, if any :

   (See Section 3 (1) (g) of the Act)
4. Community tenures of habitat and habitation

   for PTGs and pre-agricultural communities, if any :
   (See Section 3 (1) (e) of the Act)
5. Right to access brodiversity, intellectural

   property and traditional knowledge, if any :
   (See Section 3 (1) (k) of the Act)
6. Other traditional right, if any :
   (See Section 3 (1) (l) of the Act)
7. Evidence in support :
   (See Rule 13)
8. Any other information :

Signature/ Thumb Impression

of the Claimant (s)

''INNEXURE - II
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8 (h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]''

1. Name (s) of holder (s) of forest rights (including spouse) :
2. Name of the father/ mother :
3. Name of dependents :
4. Address :
5. Village/ gram sabha :
6. Gram Panchayat :
7. Tehsil/ Tatuka :
8. District :
9. Whether Scheduled Tribe or Other Traditional Forest Dweller
10. Area :
11. Description of boundaries by prominent

    landmarks including khasra/compartment No:

This title is heritable, but not alienable or transferable under sub section (4) of section 4 of the Act.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State) .... affix our signatures to confirm the above forest right.

Divisional Forest Officer/ Deputy Conservator of Forests

District Tribal Welfare Officer

District Collector/ Deputy Commissioner

"ANNEXURE - III
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8 (h) of the Scheduled Tribes and Other
Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights)
Rules 2008]"

1. Name (s) of the holder (s) of community forest right :
2. Village/ Gram Sabha :
3. Gram Panchayat :
4. Tehsil/ Taluka :
5. District :
6. Scheduled Tribe/ Other Traditioanl Forest Dweller :
7. Nature of community rights :
8. Conditions if any :
9. Description of boundaries including customary boundary and/or by prominent landmarks including khasra/ compartment No :

Name (s) of the holder (s) of community forest right :

1. ....
2. ....
3. ....

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State) .... affix our signatures to confirm the forest right as mentioned in the Title to the above mentioned holders of community forest rights.

Divisional Forest Officer/ Deputy Conservator of Forests

District Tribal Welfare Officer

District Collector/ Deputy Commissioner

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग-II खण्ड-3-उप खण्ड (i)
PART II-Section 1- Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008 / माघ 17, 1929
No. 58] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008 / MAGHA 17, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 73 (अ).– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी :-

(i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप नियम (1) में ''नियम, 2007'' के स्थान पर ''नियम, 2008'' पढ़ें ;

(ii) पृष्ठ 7 में, ''प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप [नियम 11 (1) (क) देखें]'', के स्थान पर,

''भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्ररूप-क
वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11 (1) (क) देखें]'', पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 8 में, ''प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप [नियम 11 (1) (क) और (4) देखें]'', के स्थान पर,

''भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्ररूप-ख
सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]'', पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, ''उपाबंध 2

[नियम 8 (ज) देखें]'', के स्थान पर,

''उपाबंध 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8 (ज) देखें]'', पढ़ें;

(v) पृष्ठ 10 में, ''उपाबंध 3

[नियम 8 (ज) देखें]'', के स्थान पर,

''उपाबंध 3
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8 (ज) देखें]'', पढ़ें ;

(vi) पृष्ठ 10 के अंत में,

"[फा. सं. 17014/02/2007–पीसी एंड वी (जिल्द VII)]
डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव" अंतःस्थापित करें।

[फा.सं. 17014/02/2007– पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 73 (E).- In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published vide number G.S.R.I (E), dated the 1st January 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the same date :-

(i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1 for "Rules, 2007", read "Rules, 2008"

(ii) at page 15,

for "FORM-A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO
FOREST LAND
[See rule 11 (1) (a)]"

read "Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM- A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO
FOREST LAND
[See rule 11 (1) (a) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]";

(iii) at page 16,

for "FORM - B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY
RIGHTS
[See rule 11 (1) (a) and (4)]"

read "Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM- B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY
RIGHTS
[See rule 11 (1) (a) and 11 (4) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]";

(iv) at page 17,

for "ANNEXURE-II
(See rule 8 (h)]",

read "ANNEXURE-II
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8 (h) of the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]";

(v) at page 18,

for "ANNEXURE-III
(See rule 8 (h)]",

read "ANNEXURE-III
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8 (h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]";

(vi) at page 18, at the end,

insert "[F.No. 17014/02/2007-PC &V (Vol.VII)]
Dr. Bachittar Singh, Joint Secretary".

[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol.VII)]

Dr. Bachittar Singh, Jt. Secy.

शाकेमुपो-115-24-4-08-25000.

झारखण्ड मंत्रालय

कल्याण विभाग।

संकल्प

जनजातीय कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिसूचना 2006 के धारा 4 के उपधारा–7 एवं नियमावली 2008 के नियम 9 के अधीन राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
2.	सचिव राजस्व विभाग	–	सदस्य
3.	सचिव जनजातीय या समाज कल्याण विभाग	–	सदस्य
4.	सचिव वन विभाग	–	सदस्य
5.	सचिव पंचायती राज	–	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
7.	श्री थॉमस हांसदा (स.वि.स.)	–	सदस्य (अध्यक्ष, जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा मनोनीत)
8.	श्री कोचे मुण्डा (स.वि.स.)	–	सदस्य (तदैव)
9.	श्री अमूल्या सरदार (स.वि.स.)	–	सदस्य (तदैव)
10.	अयुक्त आदिवासी कल्याण	–	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय निगरानी समिति उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमावली के कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित कृत्य करेंगे :–

(क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानदण्ड और संकेतक तय करेगी।

(ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी।

(ग) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में छः मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियाँ और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा माँग की जाए।

(घ) अधिसूचना की धारा 8 में यथा वर्णित सूचना की प्राप्ति पर अधिनियम के अधीन संबद्ध प्राधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी।

(ङ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्स्थापन की निगरानी करेगी।

Alsangma 12/5/08
(यू. के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/विविध–63/2007–(खण्ड)–क–1275 — राँची, दिनांक 24 मई, 2008

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, झारखण्ड, राँची/ माननीय मंत्री कल्याण के आप्त सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव झारखण्ड/समिति के सभी सदस्य/सचिव कल्याण के आप्त सचिव/सचिव समाज कल्याण के आप्त सचिव/सभी उपायुक्त/सभी उपखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी/सभीजिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक झारखण्ड जन जातीय कल्याण, शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Alsangma 12/5/08
(यू. के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग।

संचिका सं.-3, विविध-63/2007 (खण्ड)-1491 दिनांक- 18-06-08

अधिसूचना

विषय : केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता नियम 2007 जिसे दिनांक 01.01.08 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है, के आलोक में अनुमण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 जिसे दिनांक 01.01.08 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है, के आलोक में निम्न प्रकार से अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया जाता है :-

1. **अनुमण्डल स्तर की वन अधिकार समिति :-** राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमण्डल स्तर की समिति का गठन करती है-

(क) अनुमण्डल अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष

(ख) अनुमण्डल का भार साधक, वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जिनमें कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे, जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी है या जो आदिम जनजातीय समूह के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं है वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी है, और एक महिला सदस्य होगी, या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद या अन्य समुचित जोनल स्तर की परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी और (इनका मनोनयन संबंधित उपायुक्त द्वारा किया जायेगा)।

(घ) अनुसूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी या भार साधक अधिकारी।

2. **अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति के कृत्य :-** अनुमंडल स्तर की समिति :-

(क) प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़-पौधे और जीव-जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्यों और 'वन अधिकारों' के धारक के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(ख) ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी।

(ग) संबद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी,

(घ) ग्रामा सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी।

(ङ) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी,

(च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी।

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अन्तर्गतराज्य अभिकरण भी है अर्जियों की सुनवाई करेगी।

(ज) अतः अनुमंडल दावों के लिए अनुमंडल स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी।

(झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य के पश्चात प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसीलवार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी,

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रसारित करेगी,

(ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी,

(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपबंध-1 (प्ररूप- 'क' और 'ख') में यथा उपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी,

(ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति में किए जाते हैं।

3. **जिला स्तर की वन अधिकार समिति :–** राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन की जाती है :–

(क) जिला कलक्टर या उपायुक्त – अध्यक्ष

(ख) संबंद्ध खंड वन अधिकारी या संबंद्ध उप वन संरक्षक – सदस्य (इनका मानोनयन वन प्रमंडल पदाधिकारी के परामर्श से संबंधित उपायुक्त द्वारा किया जायेगा)

(ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं है वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी (इनका मनोनयन संबंधित उपायुक्त द्वारा किया जायेगा) और

(घ) अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग का जिले का जिला कल्याण पदाधिकारी या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्य का भारसाधक अधिकारी।

4. **जिला स्तर की वन अधिकार समिति के कृत्य –** जिला स्तर की समिति –

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड 'ख' के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम–सभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है,

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है,

(ग) अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रुप से उनका अनुमोदन करेगी,

(घ) अनुमंडल स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी,

(ङ) अतः जिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी,

(च) सुसंगत सरकार अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिकारों के अभिलेख भीहैं, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निदेश जारी करेगी,

(छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रुप दे दिया जाए, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी, और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधईन और इन नियमों के उपबंध 2 और 3 में यथा विनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति संबंद्ध दावेदार और संबंधित ग्राम सभा को दे दी गई है।

उपरोक्त समितियां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली 2007 के नियम से 11, 12, 13, 14 एवं 15 का पालन करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

(यू.के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/विविध-63/2007 (खण्ड) 1491

रॉची, दिनांक-1806-08

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रॉची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(यू.के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/विविध-63/2007 (खण्ड) 1491

रॉची, दिनांक-1806-08

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ सभी प्रधान सचिव एवं सचिव, सरकारके सभी विभाग/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ उप सचिव राज्यपाल सचिवालय/ माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/ सभी उपायुक्त/ आदिवासी क. आयुक्त, रॉची/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदा./ सभी अनुमंडल पदा./ सभी अनुमंडल कल्याण पदा./ सभी प्रखण्ड विकास पदा. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(यू.के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/विविध-63/2007 (खण्ड) 1491

रॉची, दिनांक-1806-08

प्रतिलिपि-निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110015 को सूचनार्थ प्रेषित

(यू.के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड मंत्रालय

कल्याण विभाग।

संकल्प

जनजातीय कार्यमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिसूचना 2006 एवं नियमावली 2008 के कार्यान्वयन हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम एवं नियमावली में प्राप्त प्रावधानों को लागू कराने का कार्य करेंगे।

Sangma 18/6/08
(यू. के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/विविध–63/2007–खण्ड–1487 राँची, दिनांक– 18.06.08

प्रतिलिपि–निदेशक जनजातीय कार्यमंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

Sangma 18/6/08
(यू. के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/विविध–63/2007–खण्ड–1487 राँची, दिनांक– 18.06.08

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/ माननीय मंत्री कल्याण के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव झारखण्ड/ सचिव राजस्व विभाग/ प्रधान सचिव कल्याण के आप्त सचिव/ सचिव वन विभाग/ सचिव पंचायती राज/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ श्री थोमस हाँसदा (स.वि.स.)/ श्री कोचे मुण्डा (स.वि.स.)/ श्री अमुल्या सरदार (स.वि.स.)/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची/ सभी उपायुक्त/ सभी प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sangma 18/6/08
(यू. के. संगमा)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग।

सं.:3/विविध-63/2007 (खण्ड) 1856

प्रेषक,

बी. सी. निगम
विशेष सचिव,
कल्याण विभाग

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त सह
नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड (वन अधिकार अधिनियम)
सभी उपायुक्त, झारखण्ड

रांची/ दिनांक : 13.08.2008

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि उपरोक्त अधिनियम का कार्यान्वयन, राज्य में पंचायती राज चुनाव नहीं होने के कारण, लम्बित था। इस संबंध में भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 12 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने पत्र सं. डी.ओ. नं. 17034/2/2007-PV&V (Vol-VII) (Pt) Dt. 9.7.2008 द्वारा यह निदेश दिया है कि पंचायती राज विभाग से विमर्श कर ग्राम सभाओं की बैठक आहुत की जाय। भारत सरकार द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में दिनांक 11 अगस्त, 2008 को पंचायती राज विभाग से विमर्शोपरांत इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभाओं की बैठक आहुत करने के संबंध में निम्न निर्णय लिये गए।

1. झारखण्ड ग्राम सभा (गठन की प्रक्रिया एवं कामकाज का संचालन) नियमावली 2003 की धारा 5 (क) एवं 6 (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित जिलाधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में ग्राम सभाओं की बैठक जल्द से जल्द आहुत करवायें।

2. उपरोक्त अधिनियम एवं संबंधित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ग्रामसभाओं की बैठक आहुत कर ''वन अधिकार समिति'' का गठन नियमानुसार करवाकर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

3. कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं. 1491 दिनांक 18.6.08 द्वारा अधिसूचित प्रखण्ड स्तरीय समितियों एवं राज्य स्तरीय समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सभाओं से विचार-विमर्श कर, किया जाय। इन समितियों में महिलाओं एवं आदिम जनजातियों की सहभागिता भी अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली की प्रति आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है। इसकी प्रतियाँ वेबसाइट www.tribal.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का प्रेषण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि में इसी वेबसाईट पर उपलब्ध MIS के माध्यम से करना है। इस MIS के संचालन के संबंध में विस्तृत सूचनाएँ NIC के पास उपलब्ध हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न सूचनाएँ MIS के माध्यम से विभाग को एवं भारत सरकार को यथा समय उपलब्ध करायें। कृपया इसे आवश्यक समझें एवं इन निदेशों का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिनों में भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

13/8/08

(बी. सी. निगम)
सरकार के विशेष सचिव

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)
(पंचायत राज निदेशालय)

अधिसूचना

एस. ओ. संख्या - 981 राँची, दिनांक - 23.8.04

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, की धारा 131 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज का संचालन) नियमावली, 2003 का प्रारूप उक्त धारा के उप धारा (1) में निहित प्रावधान के अनुसार पूर्व प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशन के एक माह के अन्दर कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन कोई आपत्ति/सुझाव, आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) झारखण्ड, राँची के कार्यालय में दे सकते हैं। प्राप्त कोई भी आपत्ति/ सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार किया जायेगा।

झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज का संचालन) नियमावली, 2003

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -**
   (i) यह नियमावली ''झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003'' कहलायेगी।
   (ii) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ -**
   इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2003;
   (ख) ''बैठक'' से अभिप्रेत है, ग्राम सभा की बैठक;
   (ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
   (घ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत का सचिव;
   (ङ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

3. अधिनियम की धारा 3 (iii) के प्रावधानानुसार साधारणतया प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये एक ग्राम सभा गठित की जायेगी अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये एक ग्राम सभा होगी, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन नियम 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

4. **एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया -**
   (i) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा-
   (क) आवास या आवासों के समूह के लिए
   (ख) छोटे गाँव या गाँवों/ टोलों का समूह
   जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करता हो।

   (ii) ग्राम सभा क्षेत्र के निवासी मतदाता जो अलग ग्राम सभा के गठन की इच्छा रखते हों, ग्राम सभा के गठन के संबंध में जिला गजट में अधिसूचना के एक माह के अन्दर संकल्प पारित कर विहित प्रपत्र- 1 में आवेदन प्रस्तुत कर जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त से उपनियम 4 (i) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में समाविष्ट क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा के गठन की प्रार्थना कर सकेंगे। एक माह के बाद प्राप्त आवेदन पर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त आमतौर पर विचार नहीं करेंगे। जब तक आवेदन पत्र के साथ विलम्ब का कारण न दर्शाया गया हो और दर्शाये गये कारण को जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त संतोषजनक पाते हैं।

   (iii) (क) उपनियम 4 (ii) में विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त उपनियम 4 (i) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा गठन के आशय से एक सार्वजनिक सूचना प्रपत्र 2 में जारी करेगा।

   (ख) प्रत्येक ऐसी सूचना में प्रस्तावित नये ग्राम सभा में समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा वर्तमान ग्राम सभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा।

   (ग) ऐसी प्रत्येक सूचना में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा विचार किया जायेगा।

(घ) ऐसी प्रत्येक सूचना जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त के कार्यालय संबंधित ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थान पर चिपकयाकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी।

(ङ) जिला दण्डाधिकारी उपर्युक्त खण्ड (ग) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हो, तथा प्रस्तावित नये ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र में रहने वाले समुदाय तथा उनकी रुढ़ियों एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन पर निर्णय लेगा।

(च) नई ग्राम सभा के गठन के निर्णय लेने के उपरांत पूर्व के शेष ग्राम सभा क्षेत्र को भी ग्राम सभा के रुप में विनिर्दिष्ट माना जायेगा।

(iv) (क) जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त पृथक ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्रपत्र 3 में जारी करेगा जिसमें उस ग्राम सभा में आने वाले ग्राम/ग्रामों के नाम तथा उनका विवरण होगा। पुर्नगठित ग्राम सभाएँ आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आयेंगी।

(ख) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम 4 के उपनियम (iii) के खण्ड (घ) में विहित रीति में किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।

5. **ग्राम सभा की बैठक –**

(क) ग्राम सभा की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार होगी, परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर या पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किये जाने पर, ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के तीस दिनों के भीतरबुलाई जा सकेगी;

(ख) ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की वैध संख्या के 1/10 (एक दशांश) सदस्यों की बैठक में उपस्थिति से कोरम पूर्ण पूरा हुआ मान लिया जायेगा। किन्तु कोरम के दशांश में से महिलाओं की उपस्थिति एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए;

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या कोरम के लिए अनिवार्य है, किन्तु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि 1/3 (एक तिहाई) के गणित में एक का अंश सदस्य संख्या आती है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरुप यदि बैठक में सदस्यों की कुल संख्या 91 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं की पूर्ति करने के लिए 30.3 अर्थात पूर्ण संख्या 30 सदस्य एक तिहाई से कम होंगे, इसलिए 31 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है तथा, इन 31 सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य की अर्थात 11 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ग) ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जायेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा,

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हो, और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या उनके द्वारा मनोनीत/समर्थित व्यक्ति हो।

परन्तु यह और कि जिस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा अथवा यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य हों तो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों की की बहुमत से मनोनीत/समर्थित ऐसे व्यक्ति और यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो तो ऐसे प्रस्तावित अथवा मनोनीत/समर्थित गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(घ) यदि बैठक हेतु निर्धारित किए गये समय पर कोरम के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा, जैसा कि वह निश्चित करे तथा स्थगित बैठक की एक नई सूचना नियम 7 के अनुसार देगा और ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी, परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ङ) अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो या तो परम्परागत ग्राम प्रधान हो या उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी अध्यक्ष हो को संबंधित पंचायत समिति के सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी, ग्राम सभा की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा करायेगा। शपथग्रहण/प्रतिज्ञा संलग्न प्रपत्र 7 में कराया जायेगा। शपथग्रहण/प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय में संधारित की जायेगी।

6. **बैठक की तारीख समय तथा स्थान–**

(क) ग्राम सभा के बैठक की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया द्वारा नियत किया जायेगा, मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया द्वारा तथा मुखिया तथा उप–मुखिया दोनों की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत पंचायत समिति के सहायक सचिव द्वारा नियत किया जायेगा।

(ख) ग्राम पंचायत का मुखिया अधिनियम के अधीन नियमित समय के अन्तरालों पर बैठक बुलवाये जाने के लिए जिम्मेवार होगा। इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए उसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

(ग) यदि मुखिया अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय अंतरालों पर बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जायेगा, परन्तु मुखिया को अयोग्य करार करने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्राहित करने के आधार सहित कारण पृच्छा का युक्तियुक्त अवसर देना होगा तथा लापरवाही या उपेक्षा जिसमें कुछ संदोष या आपराधिक त्रुटि उत्पन्न हो, वह देना होगा।

7. **बैठक की सूचना देने की रीति–**

(क) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारबार को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–4 में दी जायेगी, परन्तु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना देकर भी बुलायी जा सकेगी।

(ख) बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य/ सार्वजनिक स्थानों पर और ग्राम पंचायत के कार्यालय पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

8. **ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण–**

ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यावधि केदौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. **बैठक के अध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ–**

(क) यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो अधिनियम के अधीन दायित्वों के निर्वहन या क्रियान्वयन करने के क्रम में पंचायत के सचिव के कृत्यों में आते हैं, उन्हें वह पालन नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(ख) यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यकलापों की जांच करती है, तब जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष, समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमुक बाधाऐं हैं, जिनसे अधिनियम के उद्देश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है।

(ग) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संकर्मों के निष्पादन किये जाने का निर्देश दे सकेगा, जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। अधिनियम के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण कर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाईयाँ प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) बैठक में यदि कोई सदस्य अभद्रता से पेश आता है, आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इंकार करता है या बैठक के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करताहै, या अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण के लिए आदेशित किये जाने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है तो वह सदस्य व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा तथा अध्यक्ष द्वारा ऐसी किसी भी सदस्य को बैठक से तुरंत निकल जाने का निदेश दे सकेगा और इस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सदस्य तुरंत ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुपस्थित रहेगा।

(ङ) अध्यक्ष बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

10. **बहुमत द्वारा विनिश्चय–**

(क) ग्राम सभा की बैठक में लाए गये समस्त विषय उपस्थित सदस्यों की बहुमत से विनिश्चत किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा में बैठक के अध्यक्ष को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. ग्राम सभा की बैठक का संचालन–

(क) ग्राम सभा की बैठक का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित किया जायेगा।

(ग) बैठक में लिए गये निर्णयों को संक्षिप्त जानकारी के लिए पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित करेगा।

12. उपस्थिति पंजी–

ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्रपत्र 5 में रखे गये उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जायेंगे।

13. कार्यवाही अभिलेख–

(क) ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की, कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पंजी में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 6 में प्रविष्टि किया जायेगा और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी।

(ख) कार्यवाही हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी।

(ग) ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

(घ) ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी अथवा करायेगी।

14. ग्राम कोष –

(क) ग्राम सभा की निधि में शामिल कोष में ग्राम को प्राप्त होने वाले दान, प्रोत्साहन राशि एवं अन्य आय सम्मिलित किये जायेंगे,

(ख) ग्राम कोष का संचालन संबंधित ग्राम सभा द्वारा बहुमत से मनोनीत एक ग्राम सभा कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष की यह जिम्मेवारी होगी कि वे ग्राम सभा की निधि को सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अधीन ग्राम सभा के क्षेत्र या सबसे नजदीक के राष्ट्रीयकृत बैंक की बचत खाता में रखेगा। यह बचत खाता संबंधित ग्राम सभा के नाम से होगा।

(ग) ग्राम कोष में जमा धन का लेखा एक रजिस्टर में रखा जायेगा तथा उक्त रजिस्टर में ग्राम सभा के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव का हस्ताक्षर होगा। उक्त रजिस्टर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(घ) ग्राम कोष के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम सभा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(ङ) ग्राम कोष में जमा धन का उपयोग राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में अधिनियम की धारा 10 में वर्णित कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(च) ग्राम सभा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से एक वर्ष का होगा, परन्तु इस बीच मृत्यु त्यागपत्र या अनर्हता या उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में आकस्मिक रिक्ति होने पर उप नियम– (ख) के अनुसार कोषाध्यक्ष का मनोनयन किया जायेगा।

(छ) ग्राम सभा के साधन के विभिन्न स्रोतों एवं इसके बहिर्गमन तथा भारत के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक के विहित प्रपत्र में अंकेक्षण क्रिया के तहत लेखा का संधारण किया जायेगा।

15. ग्राम सभा के स्थायी समिति की गठन एवं बैठक की प्रक्रिया –

(क) ग्राम सभा, अधिनियम द्वारा दिये गये कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन एवं सुविधा के दृष्टिकोण से अपने सदस्यों में से अधिनियम में वर्णित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।

(ख) ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति में चार सदस्य होंगे जो इस प्रयोजन केलिए आम सभा द्वारा विशिष्टतः बुलाये गये बैठक में सदस्यों द्वारा अपने बीच में से बहुमत द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। इन चार सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जायगा।

(ग) ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल बैठक में मनोनीत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, परन्तु पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

(घ) ग्राम सभा के स्थायी समितियों के सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

(ङ) ग्राम सभा की किसी स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कार्य

करने में असमर्थ होने की दशा में, ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को उप नियम (ख) में वर्णित रीति में यथाशक्य शीघ्रता से भरी जायेगी।

(च) ग्राम सभा के प्रत्येक स्थायी समिति का एक सचिव होगा जो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जायेगा, परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों के बीच का ही होगा, तथा उसका कार्यकाल उसकी सदस्यता की अवधि तक रहेगा।

(छ) साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक ग्राम सभा क्षेत्र के अन्दर जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करनेवाली व्यक्ति द्वारा निर्धारित होगी, स्थान पर माह में कम से कम एक बार ऐसी तारीख एवं समय पर होगी जैसा कि ग्राम सभा के अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाय।

(ज) बैठक की सूचना बैठक की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाले कामकाज दर्शाते हुए समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी और ग्राम सभा के क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

(झ) इस प्रकार के बैठक की तारीख नियत करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अन्य स्थायी समितियों के बैठक की तारीखों से टकराव न हो।

(ट) स्थायी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो तो समिति के सभापति बैठक को ऐसी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नियत किया जाय तथा इस प्रकार नियत किए गए बैठक की सूचना ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जायेगी तथा इस प्रकार स्थगित किए गये बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक न होगी तथा ऐसे बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ नहीं लाया जायेगा।

(ठ) स्थायी समिति के किसी बैठक के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा। मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति का निर्णायक मत होगा।

(ड) स्थायी समिति मुख्यतया केवल उनको सौंपे गये मामलों के संबंध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय पहलू अंतर्ग्रस्त है तो वह उस मामले को अपनी सिफारिश के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम सभा को निर्दिष्ट करेगी। यहाँ कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो, वहाँ वह विनिश्चय के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(ढ) स्थायी समितियों में से प्रत्येक स्थायी समिति के बैठक की कार्यवाहियाँ, इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाएँगी। बैठक का सभापति, बैठक की समाप्ति होने के पश्चात यथा संभव शीघ्र कार्यवृत पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यवृत पुस्तिका स्थायी समिति के समक्ष विचारण के लिए उसके अगले बैठक में रखी जायेगी जब तक कि इस बीच ग्राम सभा के बैठक में उसकी पुष्टि न कर दी जाय।

(ण) स्थायी समिति की कार्यवाहियाँ स्थायी समिति के बैठक के पश्चात किए गए अगले बैठक में ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएँगी। ग्राम सभा ऐसे बैठक में स्थायी समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा निदेश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

16. **कठिनाईयों को दूर करना–**

यदि इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर के अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो।

संचिका संख्या–3प/नि2–108/2003
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग
झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक-3प/नि 2-108/2003-981/प्रा.पं., राँची, दिनांक-23.8.04

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की दो सौ प्रतियाँ अविलम्ब पंचायत राज निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव
पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग
झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक-3प/नि 2-108/2003-981/प्रा.पं., राँची, दिनांक-23.8.04

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. अनुरोध हैकि इस नियमावली प्रारूप को झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अपने अपने कार्यालय के सूचना पट के साथ ही संबंधित सभी प्रखण्ड विकास कार्यालयों के सूचना पट पर एक माह तक प्रकाशित रखा जाय तथा इस पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के सचिव
पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग
झारखण्ड राँची।

प्रपत्र-1

(नियम 4 (ii) देखिये)

ग्राम सभा विनिर्दिष्ट करने हेतु आवेदन पत्र

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	प्रस्तावित ग्राम सभा के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम/टोलो का नाम	जनसंख्या	नया ग्राम सभा बनाने का औचित्य
1	2	3	4	5	6

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

(नियम 4 (iii) देखिये)

सूचना

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) नियमावली, 2003 के नियम 4 (iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के भीतर कॉलम 4 में वर्णित (ग्रामों/ग्रामों के समूह/टोलों एवं टोलों के समूह आदि के लिए अलग ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

उन आपत्तियों/सुझावों पर, जो दिनांक .... तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा। उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिनांक .... को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी।

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	अवशेष क्षेत्र	जनसंख्या	थाना संख्या	अन्य विवरणी
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान -

जारी करने की तारीख-

जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त

प्रपत्र–3

(नियम 4 (iv) देखिये)

अधिसूचना

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003 के नियम 4 (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 5 में वर्णित क्षेत्र के लिए अलग ग्राम सभा का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएँगी।

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम सभा का नाम	राजस्व ग्राम	सम्मिलित ग्रामों के नाम	ग्राम की जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4	5	6	7

स्थान –

जारी करने की तारीख–

जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त

प्रपत्र- 4

(नियम- 7 (क) देखिये)

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा .... के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम .... के स्थान .... पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–5
(नियम 12 देखिये)

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. ग्राम सभा का नाम –
3. बैठक की तारीख –
4. बैठक का स्थान –
5. बैठक का समय –

क्रमांक	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में) ....

स्थान –
तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र-6

(नियम 13 (क) देखिये)

ग्राम सभा में कार्यवाही अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. बैठक की तारीख –
3. बैठक का स्थान –
4. बैठक का समय –
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या –

क्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	बैठक की कार्यवाही
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

स्थान –

तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर

एवं मुहर

प्रपत्र- 7

(नियम-5 (ड़) देखिए)

शपथ/ प्रतिज्ञा पत्र

मैं श्री/ श्रीमती .... ग्राम सभा .... ग्राम पंचायत ..../ प्रखण्ड ..../ जिला .... के ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ/ निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास एवं निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम सभा की परम्पराओं एवं रूढ़ियों को अक्षुण्ण रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए जो न्यायसंगत होगा वही करूँगा/करूँगी।

शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञाकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -

तारीख -

विहित पदाधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सत्यमेव जयते

मीना गुप्ता
Meena Gupta
Tele : 23381652
Fax : 23073160

सचिव, भारत सरकार
Secretary to the Government of India
जनजातीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Tribal Affairs
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Website : www.tribal.nic.in
www.tribal.gov.in
E-mail : meena.gupta@nic.in

11th May, 2007

D.O.No. 11023/07/2000-TDR/C&LM.II

Dear Shri

I enclose a copy of C.O. 229- the Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order 2007, published in the Gazette of India (Extraordinary, Part.II-Section 3-Sub-section (i) dated 11th April, 2007

We shall be grateful if the Order is brought to the notice of all concerned authorities so that the members of the Scheduled Tribes who live in these areas may get the protection of the provisions of the Fifth Schedule to the Constitution.

Yours sincerely,

Meena Gupta)

Shri Arvind Kumar Chugh,
Chief Secretary,
Government of Jharkhand,
Ranchi

Copy, with a copy of the C.O. No. 229 referred to above, forwarded to Shri N.N. Sinha, Secretary, Tribal Welfare Department, Government of Jharkhand, Ranchi.

(Dr. N.K. Ghatak)
Joint Director

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग सचिव कोषांग
गै प्रे स 332 दिनांक 15.5.07

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-II खण्ड-3-उप खण्ड (i)

PART II-Section 1- Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007 / चैत्र 21, 1929

No. 180] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11,, 2007 / CHAITRA 21, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

सा. का. नि. 285 (अ).– राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

"सं. आ. 229"

अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 को, जहाँ तक इसका संबंध झारखण्ड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से है, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात –

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 है।

   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिभाषित किया जाता है :–

झारखण्ड

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहार जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामताड़ा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की रबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडरिया ब्लॉक
15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर ब्लॉक

स्पष्टीकरण :– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त क्षेत्र वही हैं, चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारा जाए, जो सं.आ. 109 (अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977), तारीख 31 दिसम्बर, 1977 द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य के भाग के रूप में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित किए गए हैं।

3. पूर्ववर्ती पैरा में प्रादेशिक खंड, उसे चाहे किसी नाम से उपदर्शित किया गया हो, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारंभ पर उस नाम से विद्यमान प्रादेशिक खंड के प्रतिनिर्देश है।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति।

[फा.सं.19 (8)/2006-वि.I]
के.एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2007

G.S.R. 285 (E)- The following Order made by the President is published for general information :-

"C.O. 229"

The Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007

In exercise of the powers confened by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003 in so far as it relates tothe areas now comprised in the State of Jharkhand and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely :-

1. (1) *This Order may be called the* Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007.

   (2) It shall come into force at once.

2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Jharkhand :-

JHARKHAND

1. Ranchi District
2. Lohardaga District
3. Gumla District
4. Simdega District
5. Latchar District
6. East Singhbhum District
7. West-Singhbhum District
8. Saraikcla-Kharsawan District
9. Sahebganj Distict
10. Dumka District
11. Pakur District
12. Jamtara District
13. Palamu District-Rabda and Bokaro Panchayats of Satbarwa Block
14. Garhwa District- Bhandaria Block
15. Godda District - Sunderpahari and Boarijor Blocks.

Explonation - For the removal of duubts, it is hereby declared that the said arcas are the same, by whatever name called, as were notified as Scheduled Areas as part of the crstwhile State of Bihar vide C.O. 109 [the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977], dated the 31st December, 1977.

3. *Any reference in the preceding paragraph to* a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of than name as existing at the commencement of this Order.

A.P.J. ABDUL KALAM
President

[F. No. 19 (8)/2006-Leg.I]
K.N. SHATURVEDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054

अलंकरण एवं मुद्रण : **सेतु प्रिंटर्स**, राँची। दूरभाष : 0651-2551353/56